

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 23-भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री दामोदर अग्रवाल

सी-150, आर. के. कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)


जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : भीलवाड़ा

दिनांक : 04/06/2024



  
(नमित मेहता)  
रिटर्निंग अधिकारी

23-भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

(नमित मेहता)  
रिटर्निंग अधिकारी

23-भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

**Form 21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951**

Election to the House of the People from the 23-Bhilwara Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**SHRI DAMODAR AGARWAL**

**C-150, R.K. Colony, Bhilwara (Raj.)**

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.



  
( Namit Mehta )  
Returning Officer  
23-Bhilwara Parliamentary Constituency  
( District Collector & District Magistrate, Bhilwara )  
(नमित मेहता)  
रिटर्निंग अधिकारी  
23-भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)